(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 86 (आर0ई0-2013)/2009-2014
नई दिल्ली, दिनांकः 16 फरवरी, 2015

विषयः प्रक्रिया पुस्तक – खण्ड I के परिशिष्ट 37क में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड–I (परिशिष्ट तथा आयात निर्यात प्रपत्र) के परिशिष्ट–37क में संशोधन करते हैं। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड–I के परिशिष्ट 37क, विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित मदों के आईटीसी एचएस कोडों, जिन्हें 25 फरवरी, 2014 को जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं. 52/2009–2014(आरई–2013) के तहत सुमेलित किया गया था, को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः–

क्रम सं.	विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना उत्पाद कोड (सा.सू. सं. 52, दि. 25.02.2014)	वर्णन (सा.सू. सं. 52, दिनांक 25.02.2014 के अनुसार)		आईटीसी एचएस कोड (सा.सू. सं. 52, दिनांक–25.02.2014 के अनुसार)	संशोधित आईटीसी एचएस कोड
		वानस्पतिक नाम	अन्य नाम		
706.	706	एपियम ग्रेवियोलेंस सीड	अजमोदा/सीलरी सीड	13021919	09109911
716.	716	कोरिएन्ड्रम सेटीवम सीड्स	कोरिएन्डर सीड्स/धनिया	13021919	09092110 09092190 09092200
693.	693	ट्राईगोनेला फीनमगेसियम सीड	फेनूग्रीक/मेथी	13021919	09109912
696.	696	जिंगीबर ओफिसिनेलिस	अदरक/सौंठ, अदरक	13021919	091011
680.	680	करकूमा लोंगा	टर्मेरिक/हल्दी	13021919	091030
635.	635	वर्नोनिया एन्थमिनटिका (पर्पल फ्लेबिन, काली जीरी) क्यूमिन ब्लेक सीड गुणवत्ता, अन्य क्यूमिन ब्लेक सीड्स		09093011	090931
676.	676	केसिया एंगस्टिफोलिया सेना लीवस एंड पेड्स	इन्डियन सेना/सोनामुखी	13021919	12119022
683.	683	गार्सिनिया कम्बोजिया	गोरका/कोकम	13021919	13021918

783.	783	अन्यः कैशिया सीड्स सेसबानिया सीड्स चाहे संशोधित हो अथवा नहीं, के एंडोस्पर्म फ्लाउर		13023290	09109921

इन मदों के लिए प्रोत्साहन के विवरण और ग्राह्य दर वहीं होंगे जो दिनांक 25.02.2014 को जारी सार्वजनिक सूचना सं.52 में अधिसूचित किए गए हैं।

3. उत्पाद 'टेमरिन्ड कर्नल पाउडर' को वीकेजीयूवाई तालिका–2 की क्रम सं. 663 से हटाया जाता है और वीकेजीयूवाई तालिका–2 में नई क्रम सं. 784 दी जाती है। क्रम सं. 663 और नई क्रम सं. 784 निम्नानुसार होंगे:

क्रम सं.	वीकेजीयूवाई उत्पाद कोड	विवरण	आईटीसी एचएस कोड	ग्राह्य दर
663	663	टेमरिन्ड्स इंडिकस जैसे इमली (ताजे, सूखे, बीज) इमली की फ्लाउर मील और पाउडर इमली का काटीलेडान फ्लाउर (टेमरिन्ड इंडिका)	08109020 08134010 11063010	5%
784	784	टेमरिन्ड कर्नल पाउडर	13023290	5%

4. इस सार्वजनिक सूचना के पैराग्राफ 2 और 3 में उल्लिखित मदों के लिए वीकेजीयूवाई लाभ, 25 फरवरी, 2014 तथा इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख के बीच किए गए निर्यात के लिए, पोतलदान बिलों में उल्लिखित आईटीसी (एचएस) कोड पर ध्यान दिए बिना दिनांक 25 फरवरी, 2014 को जारी सार्वजनिक सूचना सं.52 में यथा अधिसूचित विवरण के आधार पर, प्रदान किया जाना है। इन मामलों में, प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड–1 के पैरा 9.3 में निर्धारित विलम्ब कटौती की गणना/अधिरोपण के लिए 25 फरवरी, 2014 और इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख के बीच की अवधि की गणना नहीं की जाएगी। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में जहां 25 फरवरी, 2014 और इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख के बीच निर्यात किए गए हैं, इस सार्वजनिक सूचना की तारीख वीकेजीयूवाई लाभ लेने के प्रयोजन के लिए निर्यात की तारीख मानी जाएगी।

<u>सार्वजनिक सूचना का प्रभावः</u> प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड–1 के परिशिष्ट–37क की तालिका–2 में विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) में उल्लिखित कुछ मदों के उत्पाद विवरण और आईटीसी एचएस कोड में अधिक स्पष्टता लाने के लिए संशोधन किया गया है। कुछ मदों के लिए दिनांक 25 फरवरी, 2014 और इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख के बीच किए गए निर्यात पर वीकेजीयूवाई का लाभ पोतलदान बिल में उल्लिखित आईटीसी (एचएस) कोड पर ध्यान दिए बिना केवल उत्पाद के विवरण के आधार पर ग्राह्य होगा।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः **dgft@nic.in**

(फा0सं0 01/61/180/230/एएम13/पीसी-3 (खण्ड–3)